अजीत - उम्मेद मु.नं. 131/2023

दिनांक	आज्ञा पत्र	
23.10.24	पत्रावली पेश। वकील अपील प्रकरण [illegible] वकील श्री हरफूल सिंह के हिदायत पैरवी नहीं होने का अंकन किया। वकील अपील उपस्थित। बहस सुनी गई। बाद आदेश कार्यवाही दिनांक 29.10.24 को पेश हो।	[signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर; पैरवी नहीं हुई [illegible]
29.10.24	पत्रावली पेश। वकील अपील प्रकरण [illegible] 1/2 व 1/4, 3/1 व 3/4 की आराजी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 3/5 की आराजी [illegible] [illegible] 34 / वकील [illegible] 1/2 व 1/4 3/1 व 3/5 की बहस सुनी गई। बाद आदेश दिनांक 5.11.24 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	1/2 ता 1/4 व 3/1 ता 3/5 [illegible] [illegible]; 3/5 [illegible] [signature] [illegible]
5-11-24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 131/2023

1 अजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 उम्मेद सिंह मृतक
1/1 श्रीमती उम्मेद कंवर पत्नी उम्मेद सिंह मृतक
1/2 गोरधन सिंह
1/3 उदय सिंह
1/4 किशोर सिंह पुत्रगण स्व. उम्मेद सिह
2 सरदार सिंह मृतक
2/1 शिशुपाल सिंह मृतक
2/1/1 निश्चल सिंह शेखावत पुत्र शिशुपाल सिंह
2/1/2 आशा कंवर पत्नी शिशुपाल सिंह
2/1/3 जयश्री पुत्री शिशुपाल सिंह
2/2 हणमान सिंह पुत्र सरदार सिंह
2/3 भंवर कंवर पुत्री सरदार सिंह
2/4 किरण कंवर पुत्री सरदार सिंह
2/5 विनोद कंवर पुत्री सरदार सिंह
2/6 संतोष कंवर पुत्री सरदार सिंह
3 गोपाल सिंह पुत्र स्व. भवानी सिंह मृतक
3/1 चांद कंवर पत्नी गोपाल सिंह
3/2 हणमान सिंह पुत्र गोपाल सिंह
3/3 गजेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

3/4 करण सिंह पुत्र गोपाल सिंह
3/5 पुष्पा कंवर पुत्री गोपाल सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
4 रघुनाथ पुत्र जोधाराम मृतक
4/1 छोटूराम पुत्र जोधाराम मृतक
4/1/1 सुन्दरी बेवा छोटूराम मृतक
4/1/2 सुरजाराम पुत्र स्व. छोटूराम
4/1/3 कालुराम पुत्र स्व. छोटूराम
4/1/4 बनवारी पुत्र स्व. छोटूराम मृतक
4/2 बोदूराम पुत्र जोधाराम मृतक
4/4 रामदेव पुत्र जोधा मृतक
4/4/1 श्रीमती सावित्री बेवा रामदेवाराम मृतक
4/4/2 शंकरलाल पुत्र रामदेवाराम
4/4/3 शोलाराम पुत्र रामदेवाराम
4/4/4 श्रवण पुत्र रामदेवाराम
4/4/5 हीरालाल पुत्र रामदेवाराम
समस्त जाति माली निवासी ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
5 मोहन
6 जगदीश
7 भगवाना
8 निवास
9 बंशीधर पुत्रगण कानाराम निवासी ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
10 नाथू पुत्र देबू
11 चोथू पुत्र देबू
12 श्रीमती मोहनी बेवा देबू मृतक

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

समस्त जाति माली निवासीगण रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

13 कालु पुत्र बक्सा मृतक

13/1 नाथी पत्नी स्व. कालुराम मृतक

13/2 सांवरमल पुत्र स्व. कालुराम

13/3 शंकरलाल पुत्र स्व. कालुराम

13/4 गिरधारी पुत्र स्व. कालुराम

13/5 गजानन्द पुत्र स्व. कालुराम

13/6 बाबूलाल पुत्र स्व. कालुराम

13/7 प्रभाती पुत्री स्व. कालुराम

13/8 मंगली पुत्री स्व. कालुराम

समस्त जाति माली निवासी ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

14 भूरा पुत्र बक्सा मृतक

15 फूलचन्द पुत्र डालूराम

16 श्रीमती किशन बेवा डालुराम

17 भूरा पुत्र हरबक्सा मृतक

समस्त जाति माली निवासी ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

18 भगवाना पुत्र मंगला जाति खटीक

19 प्रेमा

20 भूरा

21 चतरा पुत्रगण मुरली जाति खटीक निवासीगण शोभ तहसील व जिला सीकर।

22 कालुराम पुत्र जोधाराम मृतक

23 छीतरमल पुत्र घीसा

24 शंकरलाल पुत्र घीसा

25 मोतीलाल पुत्र घीसा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

26 कानाराम पुत्र मंगलाराम मृतक

26/1 रूडाराम मृतक

26/2 कालूराम पुत्र कानाराम

26/3 बाबुलाल पुत्र कानाराम

26/4 गणपत पुत्र कानाराम

समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

27 सोनाराम पुत्र गणेशराम मृतक

27/1 प्रभु पुत्र सोनाराम

27/2 श्योकरण पुत्र सोनाराम

28 श्योपाल पुत्र गणेशराम मृतक

29 रूघनाथ पुत्र गणेशराम

समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम त्रिलोकपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

30 रामलाल पुत्र गंगाराम

31 दुर्गालाल पुत्र गंगाराम

32 सोनलाल मृतक

समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

33 बोदुराम पुत्र भागुराम समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

34 रामचन्द्र पुत्र चेतूराम

35 कालुराम पुत्र चेतूराम

36 बलदेव पुत्र चेतूराम

37 भगवानाराम पुत्र चेतूराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

38 रामनाथ पुत्र प्रेमा मृतक

39 छोटी बेवा छोटूराम

40 भंवरी पुत्री छोटूराम

41 रामचन्द्र पुत्र मंगलाराम मृतक

42 रतनलाल पुत्र मंगलाराम

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

43 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतरामगढ़ जिला सीकर राज.।

44 भूमि धारक तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

45 भूमि धारक उप तहसीलदार उप तहसील पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त.अधि.
1955 विरूद्ध एवं प्राथमिक डिकी दिनांकित
30.06.2023 न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम
सीकर दावा संख्या 348/2003 बउनवानी
उम्मेद सिंह बनाम सरदार सिंह वगै.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत , अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरफुल खींचड, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट (हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया)
3. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री भगवान सिह धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
5. श्री मान प्रकाश, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 5.11.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 348/2003 में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट उम्मेद सिंह ने ग्राम रानोली की भूमि खसरा नम्बर 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1433, 1442, 1444, 1446, 1445/1420, 837/1516, 821, 840, 801 से 805, 807 से 818 के संदर्भ में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 1/2 अजीत सिंह की ओर से धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट का नोटिस सम्यक रूप से तामील नहीं हुआ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलांट विवादित भूमि पर बाहमी विभाजन के अनुसार अपने हक हिस्से पर काबिज चला रहा है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार कर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार दिनांक 25.06.2014 को अधिवक्ता श्री अमित बियाला ने अजीत सिंह की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में यह वकालतनामा संलग्न है। इसके उपरांत दिनांक 17.08.2023 को अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता श्री भानुप्रकाश यादव का वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है। इस वकालतनामा पर अमित बियाला के नो-ऑब्जेक्शन अंकित है। स्पष्ट है कि दिनांक 25.06. 2014 से अपीलांट विचारण न्यायालय में जरिये वकील उपस्थित रहा है। विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा दिनांक 25.06.2014 से प्राथमिक डिक्री जारी होने तक किसी प्रकार की जवाबदेही, साक्ष्य, आपत्ति अथवा चाराजोही नहीं की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन के वाद में 75 प्रतिवादीगण है। विचाराधीन प्राथमिक डिक्री को केवल मात्र अपीलांट द्वारा चुनौती दी गई है। स्पष्ट है कि अपीलांट ने तथ्यों को छिपाकर मिथ्या कथन कर प्रकरण को विलम्बित रखने के उद्देश्य से अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। विभाजन के वाद में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलांट के पास आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार दिनांक 13.06.2023 को पत्रावली आगामी तिथि 30.06.2023 के लिए बहस आवेदन पत्र आदेश 09 नियम 07 हेतु नियत की गई थी। विचारण न्यायालय ने दिनांक 30.06.2023 को बिना किसी विधिक प्रक्रिया की पालना के विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी है। विचारण न्यायालय में सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रिया की पालना कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.12.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 5.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर